

**विषय क्रमांक-** ऐसे स्थल जहाँ 50 से 60 प्रतिशत भूखण्ड पर भद्रन नियमित हो दुक्के हैं, उपविधि-1998 के अन्तर्गत उप-विभाजन लेकर नियमित रूप से उद्दीपन करने विषयालय

प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसे भी कुछ दोनों विभिन्नता हो गए हैं जहाँ उप-उप-6 प्राधिकरण से अधिक भवन निर्मित हो चुके हैं तथा अधिकांश भवनों तकी प्रकृति अधिकृत दो छोटी से आठ है। ऐसे स्थानों पर इन्हें बचन मानचित्र लिखकरिता तथा विभिन्न घटनों में नियमितीकरण किसाईरों का सामान करना पड़ रहा है। प्राधिकरण ने यहाँमात्र में अनुकूल नू.उपदाय 5 की दस्ता गें जोगिंग रेपुलेशन में निर्धारित जनरलर्ट्या शास्त्र के अधार पर विकास निर्धारित पिकास शुल्क तथा शागन उपविधि 1996 प्राधिकरण के अनुसार भूमि मूल्य का 5 प्रतिशत मू.उपविभाजन शुल्क लेते हुए मानचित्र रखकरी की कारबाही की जो रही है। उक्त उपविधि की अनुसूची-51 में निर्माण की प्रकृति एवं शुल्क का विधारण करते हुए का संख्या-7 में दिए रखीकृत किया गया भू.उपविभाजन/विकास गार्ड आवासीय निर्माण पर भूमि मूल्य का 5 प्रतिशत, व्यावसायिक हेतु दो प्रतिशत तथा कार्यालय हेतु डेढ़ प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी उपविधि के कम संख्या-10 में यह उल्लंघन भी किया दया है कि भू.उपविभाजन विभागी स्थीकृति अनुमत्य न हो, ऐसे नामलों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दर्दे जो जबत 5 उप-6 में निर्दिष्ट के दोगुने से उच्च होगी, स्थिति के अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।

शमन उपविधि 1998 के क्रम संख्या—10 के प्राविधान के अन्तर्गत ऐसे स्थल जहाँ पर 50-60 प्रतिशत भवन निर्मित हो चुके हैं (महायोजना में जनवासीय भूउपयोग) तथा भवनों की प्रकृति अनधिकृत है ताकि ऐसे स्थलों पर रिक्त भूमि में भवन मानवित्र स्वीकृत करके हेतु राशर्त कि उवत रिक्त भूमि का अन्यत्र विरतार सम्भव न हो, ऐसे भवन/मानवित्र उद्देश्य से इन्हें अनुसार निधारित विभाग शुल्क, सुपरवीजन शुल्क ले अतिरिक्त 5 प्रतिशत राश-डिवीजन शुल्क लेते हुए मानवित्र रेवीकृत/नियमित विभाग जारी का प्रस्ताव बोल के समर्पण करेंगे।

दैर्दिकि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रकार लंकरण कई शेत्रों से खाया जा रहा है और आम जनता द्वारा इनके निरस्तारण हेतु भैल-यिल्ल स्तरों से प्रथम भी हिए जा रहे हैं। वैरुकि जन राधारण के हितार्थ इस समस्या के सापेक्ष लिया जाना नितारं आवश्यक प्रतीत हो रहा है और वैरुकि उक्त प्रकरण पर प्राधिकरण बोर्ड रखर रखे ही निर्णय लिया जा सकता है और बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में होनी नियत नहीं हो पा रही है। अब उन-चुटियों से छुड़ उक्त प्रकरण पर तत्काल निर्णय लिए जाने के उद्देश्य से प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के सभी परिचालन के माध्यम से प्रेरसुत किया जा रहा है।

५८४-३०८, बालाजीनगर  
मुख्य अधिकारी (मुख्यालय)  
दत्तराधिकारी पंकजन दिव्य  
ईश्वर

Board - 74

Date - 25.10.08

प्रकरण बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ

क्रमांक 1 :- बोर्ड बैठक दिनांक 28.2.2008 के विषय क्रमांक-1 पर लिए गये निर्गम के अनुपालन में बोर्ड के समक्ष पुरिचालन के माध्यम से प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

क्रमांक 2 :- ऐसे स्थान जहाँ 50 से 60 लातिशात भूखण्ड इन चुके हैं, वहाँ अमन उपविधि 1998 के अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत उपविभाजन शुल्क लिये जाने विषयक।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 3 :- नारगिल शहीद मै0 विवेक गुप्ता की बहन कुमारी रेणु गुप्ता को आवर्दित पैट्रोल पम्प हेतु ग्राम-हरवाला के खसरा नम्बर 447/1 में मानचित्र पत्रावली संख्या C-28/02-03 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 4 :- भवन मानचित्र पत्रावली संख्या 712/07-08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 5 :- श्री राकेश चन्द्र बिजल्वाण मौजा-केदारपुर देहरादून में आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

क्रमांक 6:- श्री नरेन्द्र कुमार चढ़ा, नैशविला रोड, देहरादून के विरुद्ध योजित वाय संख्या 540/एस-6/93 को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत सू-उपयोग परिवर्तन करते हुये शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Board - 74

Date 25/10/08



ठार्मांक 2 :- ऐसे स्थान जहाँ 50 से 60 प्रतिशत भूखण्ड बन चुके हैं, वहाँ समन आवधि 1998 के अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत उपविभाजन शुल्क लिये जाने विषयक

देहरादून विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महापोजन में दिखित आवासीय क्षेत्र (जोनिंग के अनुसार) में अधिकतम विकाश शुल्क ₹50 75 प्रतिवर्ग मी10 ली दर से सुपरविजन शुल्क भी अच्छादित क्षेत्रफल पर निर्धारित है, इसके अतिरिक्त भूमि भूल्य का 1 प्रतिशत भू-उपविभाजन शुल्क भी लिया जा रहा है। प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसे भी कुछ क्षेत्र दिक्षित हो गये हैं जहाँ पर 50-60 प्रतिशत से अधिक भवन निर्मित हो चुके हैं तथा अधिकांश भवनों की प्रकृति अनाधिकृत की श्रेणी में आती है ऐसे अधिक भवन निर्मित हो चुके हैं तथा अधिकांश भवनों के नियमितकरण में कठिनाइयों का सम्पन्न स्थानों पर भवन मानचेत्र स्वीकृति में तथा निर्मित भवनों के नियमितकरण में कठिनाइयों का सम्पन्न करना घड़ रहा है। उक्त प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये प्रोटोटो आदेश व सबलिंगिज द्वारा करना घड़ रहा है। उक्त प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में ही नियमित के आदेशों की परिधि में नहीं आते हैं तथा इस प्रकार की प्रक्रियाओं को लोर्ड द्वारा पूर्व में ही नियमित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थलों के नियमितकरण हेतु शासनादेश द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थलों के नियमितकरण हेतु अनुसार अधिकास 2281/9-आ-1-96-6 डी०एव/81 दिनांक 22.6.1998 की अनुसार अधिनियम की धारा-32 के अधीन विकास प्राधिकरण अपराधों का समन उपविधि 1998 के अनुसार अधिनियम की धारा-32 के अधीन अपराधों को शमन हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। उक्त उपविधि के अनुसूची-८ में अपराधों का शमन हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त निर्धारण करते हुए कम संख्या-९ (बिना स्वीकृत किया गया निर्माण की प्रकृति एवं शुल्कों का निर्धारण करते हुए कम संख्या-९) तथा कार्यालय हेतु 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा कम संख्या-१० में भू-उपविभाजन जिसकी स्वीकृति अनुमत्य न हो ऐसे मामलों में प्रत्येक प्राधिकरण अपने स्तर से दरें जो उक्त कमांक-९ में निर्दिष्ट के दोगुने से उच्च होगी, स्थिति अनुसार निर्धारित कर सकेंगे।)

अतः ऐसे स्थल जहाँ पर पूर्व से कई निर्माण अनुधिकृत एवं जनता अदालत के माध्यम से स्वीकृति के उपरान्त नियमान हो चुके हैं परन्तु वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा ऐसे भवन मानविक्री को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। ऐसे भवन मानविक्री की स्वीकृति हेतु आवासीय क्षेत्र में लिये जा रहे, आधिकतम विकास शुल्क, सुपरविजन चार्जज के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सबलिंगिज शुल्क लेते हुए मानचेत्र स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विवारार्थ प्रस्तुत है।



कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।

पत्रांक: १०८ परिः०-मानविक्ति / 2006

दिन: ३५/ जूलाई, 2006

१. समर्पित सहायक अधिकारी,  
म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।
२. समर्पित उपचार अधिकारी  
म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।

प्राधिकरण को जानकारी के लिए इसे केवल जहाँ कि ५० से ६० प्रतिशत भूखण्डों पर सहायता देने के लिए निर्मित हो चुके हैं तथा भवन उपविधि १९९८ के अन्तर्गत देहरादून/भूखण्डों पर सहायता देने के लिए उप विभाजन शुल्क लेकर नियमित व स्वीकृत किया जा रहा है, के सम्बन्ध में उप प्रस्ताव परिवर्तन के साथ सम्बन्धित घोषणा के समक्ष लगा रखा दूर जिसे अप्रैल द्वारा ०५ प्रैसेन्ट उप विभाजन शुल्क लेकर स्वीकृत किये जाने के निर्देश के लिए है।

अब आप आपने से सम्बन्धित विकास क्षेत्र के अन्दर एक नई प्रक्रिया एवं क्षेत्रों की सूची एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर ले जहाँ। ८ आगस्तीय देश में ३० प्रतिशत तक भूखण्डों पर भवन निर्मित हो चुके हैं तथा मानविक्ति प्राधिकरण से प्रस्ताव नहीं है। तत्पश्चात् इनकी सख्ती को दखते हुये इस कार्यवाही पर देहरादून की जागेगी।

उपाध्यक्ष,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  
देहरादून।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

१. सचिव, म०दे०वि०प्रा०,
२. मुख्य लेखा प्रकारी, म०दे०वि०प्रा०,
३. अधिकारी अधिकारी, म०दे०वि०प्रा०,

उपाध्यक्ष,  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  
देहरादून।